सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 25/17

1. ओमप्रकाश } पिसरान श्री मनफूल अकवाम बिश्नोई सकनाए
2. मदन लाल } सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. वेद प्रकाश पुत्र कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

बनाम

ग्राम पंचायत, सतजण्डा जरिये सरपंच तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली दिनांक 20–12–2004

उपस्थित :
श्री राजाराम बिश्नोई, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
श्री संतकुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश **दिनांक : 10–07–2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण का आबादी भूमि ग्राम सतजण्डा के पूर्व दिशा में अपने–2 भूखण्डों के सामने 52 गुणा 450 फुट में 50–60 वर्षो से पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण मान कर निगरानीकृत प्रस्ताव के माध्यम से निगरानीकर्तागण के मकान तोड़ना चाहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मकानों को तोड़ने का नोटिस दिनांक 11–4–17 को दिया था, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस दिनांक 11–4–17 को निरस्त कर दिया था। निगरानीकर्तागण के विचाराधीन नियमन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अभियान में करने के निर्देश दिये गये। वर्तमान सरपंच व सचिव ने दिनांक 10–3–16 को तहसीलदार को उपस्थिति में फर्द बनाई जिसमें निगरानीगण के पुराने मकान का तथ्य प्रमाणित है। ग्राम पंचायत, सतजण्डा के प्रमाण पत्र दिनांक 31–5–16 से निगरानीकर्ता के पिता मनफूल भारत स्वतन्त्र होने से पहले स्टेट टाईम का मकान होना बताया है। ग्राम पंचायत के चार वार्ड पंचों ने लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि निगरानीकर्तागण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकर्तागण ने 13 वर्ष पूर्व अपने कब्जा शुदा रिहायशी मकानों का पट्टा बनाने के लिए आवेदनपत्र दिये थे तथा उसके बाद समय समय पर भी प्रार्थना पत्र दिये गये।सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार जिन लोगों का अतिक्रमण 31–12–16 का था उसे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टे दिये जावें। ग्राम पंचायत के

1. ओमप्रकाश } पिसरान श्री मनफूल अकवाम बिश्नोई सकनाए
2. मदन लाल } सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. वेद प्रकाश पुत्र कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

ग्राम पंचायत, सतजण्डा जरिये सरपंच तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली दिनांक 20—12—2004

उपस्थित :

श्री राजाराम बिश्नोई, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
श्री संतकुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश **दिनांक : 10—07—2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण का आबादी भूमि ग्राम सतजण्डा के पूर्व दिशा में अपने—2 भूखण्डों के सामने 52 गुणा 450 फुट में 50—60 वर्षो से पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण मान कर निगरानीकृत प्रस्ताव के माध्यम से निगरानीकर्तागण के मकान तोड़ना चाहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मकानों को तोड़ने का नोटिस दिनांक 11—4—17 को दिया था, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस दिनांक 11—4—17 को निरस्त कर दिया था। निगरानीकर्तागण के विचाराधीन नियमन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अभियान में करने के निर्देश दिये गये। वर्तमान सरपंच व सचिव ने दिनांक 10—3—16 को तहसीलदार की उपस्थिति में फर्द बनाई जिसमें निगरानीगण के पुराने मकान का तथ्य प्रमाणित है। ग्राम पंचायत, सतजण्डा के प्रमाण पत्र दिनांक 31—5—16 से निगरानीकर्ता के पिता मनफूल भारत स्वतन्त्र होने से पहले स्टेट टाईम का मकान होना बताया है। ग्राम पंचायत के चार वार्ड पंचों ने लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि निगरानीकर्तागण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकर्तागण ने 13 वर्ष पूर्व अपने कब्जा शुदा रिहायशी मकानों का पट्टा बनाने के लिए आवेदनपत्र दिये थे तथा उसके बाद समय समय पर भी प्रार्थना पत्र दिये गये।सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार जिन लोगों का अतिक्रमण 31—12—16 का था उसे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टे दिये जावें। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच नरसिंह द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण दिनांक 11—4—17 को नोटिस दिया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शायी भूमि ओपन लैण्ड में अन्य कब्जाधारी ग्रामीणों के पट्टे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं तथा सरकार की नई नीति के अनुसार शेष कब्जाधारियों के मकानों के पट्टे बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। निगरानीकृत प्रस्ताव के द्वारा ग्राम पंचायत निगरानीकर्तागण के मकानों को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तुड़वाना चाहती है।निगरानीकर्तागण क्रमशः ओमप्रकाश ने अपने पुराने निर्मित मकान 50 गुणा 150 फुट क्षेत्र का, मदन लाल ने 50 गुणा 75 फुट का, वेद प्रकाश ने 50 गुणा 150 फुट के पट्टे नियम 157 के तहत बनाने के लिए दस्तावेजात पेश किये हुए हैं। निगरानीकृत आदेश दिनांक 20–4–17 के संबंध में निगरानीकर्तागण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 20–4–17 निरस्त फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब पेश कर कथन किया है कि निगरानी किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण ने उक्त जगह पर नाजायज कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण ने तमाम तथ्य अपने प्रार्थना पत्र को बल देने के लिए झूठे लिखें हैं। निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कतई अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्तागण ने ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में की गई कार्यवाहियॉ उनके खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं और उन्हें अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेशित किया जा चुका है। निगरानी मूल तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों पर पेश की गई है। निगरानी संधारण योग्य नहीं है। निगरानी खारिज होने योग्य है।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।ग्राम पंचायत का निगरानी से संबंधित जवाब प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस निगरानी में वर्णित तथ्यों पर आधारित करते हुए कहा है कि निगरानीकर्तागण का आबादी भूमि ग्राम सतजण्डा के पूर्व दिशा में अपने–2 भूखण्डों के सामने 52 गुणा 450 फुट में 50–60 वर्षो से पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण मान कर निगरानीकृत प्रस्ताव के माध्यम से निगरानीकर्तागण के मकान तोड़ने का नोटिस दिनांक 11–4–17 को दिया था, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस दिनांक 11–4–17 को निरस्त कर दिया था। वर्तमान सरपंच व सचिव ने दिनांक 10–3–16 को तहसीलदार की उपस्थिति में फर्द बनाई जिसमें निगरानीगण के पुराने मकान का तथ्य प्रमाणित है। ग्राम पंचायत, सतजण्डा के प्रमाण पत्र दिनांक 31–5–16 से निगरानीकर्ता के पिता मनफूल भारत स्वतन्त्र होने से पहले स्टेट टाईम का मकान होना बताया है। ग्राम पंचायत के चार वार्ड पंचों ने लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि निगरानीकर्तागण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार जिन लोगों का अतिक्रमण 31–12–16 का था उसे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टे दिये जावें। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच नरसिंह द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण दिनांक 11–4–17 को नोटिस दिया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शायी भूमि ओपन लैण्ड में अन्य कब्जाधारी ग्रामीणों के पट्टे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं तथा सरकार की नई नीति के अनुसार शेष कब्जाधारियों के मकानों के पट्टे बनाने की प्रकिया की जा रही है। निगरानीकृत प्रस्ताव के द्वारा ग्राम पंचायत निगरानीकर्तागण के मकानों को तुड़वाना चाहती है। निगरानीकर्तागण क्रमशः ओमप्रकाश ने अपने पुराने निर्मित मकान 50 गुणा 150 फुट क्षेत्र का, मदन लाल ने 50 गुणा 75 फुट का, वेद प्रकाश ने 50 गुणा 150 फुट के पट्टे नियम 157 के तहत बनाने के लिए दस्तावेजात पेश किये हुए हैं। निगरानीकृत आदेश दिनांक 20–4–17 के संबंध में निगरानीकर्तागण को कोई

तुड़वाना चाहती है।निगरानीकर्तागण क्रमशः ओमप्रकाश ने अपने पुराने निर्मित मकान 50 गुणा 150 फुट क्षेत्र का, मदन लाल ने 50 गुणा 75 फुट का, वेद प्रकाश ने 50 गुणा 150 फुट के पट्टे नियम 157 के तहत बनाने के लिए दस्तावेजात पेश किये हुए हैं। निगरानीकृत आदेश दिनांक 20–4–17 के संबंध में निगरानीकर्तागण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 20–4–17 निरस्त फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब पेश कर कथन किया है कि निगरानी किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण ने उक्त जगह पर नाजायज कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण ने तमाम तथ्य अपने प्रार्थना पत्र को बल देने के लिए झूठे लिखें हैं। निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कतई अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्तागण ने ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में की गई कार्यवाहियॉ उनके खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं और उन्हें अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेशित किया जा चुका है। निगरानी मूल तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों पर पेश की गई है। निगरानी संधारण योग्य नहीं है। निगरानी खारिज होने योग्य है।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।ग्राम पंचायत का निगरानी से संबंधित जवाब प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस निगरानी में वर्णित तथ्यों पर आधारित करते हुए कहा है कि निगरानीकर्तागण का आबादी भूमि ग्राम सतजण्डा के पूर्व दिशा में अपने–2 भूखण्डों के सामने 52 गुणा 450 फुट में 50–60 वर्षो से पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण मान कर निगरानीकृत प्रस्ताव के माध्यम से निगरानीकर्तागण के मकान तोड़ने का नोटिस दिनांक 11–4–17 को दिया था, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस दिनांक 11–4–17 को निरस्त कर दिया था। वर्तमान सरपंच व सचिव ने दिनांक 10–3–16 को तहसीलदार की उपस्थिति में फर्द बनाई जिसमें निगरानीगण के पुराने मकान का तथ्य प्रमाणित है। ग्राम पंचायत, सतजण्डा के प्रमाण पत्र दिनांक 31–5–16 से निगरानीकर्ता के पिता मनफूल भारत स्वतन्त्र होने से पहले स्टेट टाईम का मकान होना बताया है। ग्राम पंचायत के चार वार्ड पंचों ने लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि निगरानीकर्तागण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार जिन लोगों का अतिक्रमण 31–12–16 का था उसे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टे दिये जावें। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच नरसिंह द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण दिनांक 11–4–17 को नोटिस दिया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शायी भूमि ओपन लैण्ड में अन्य कब्जाधारी ग्रामीणों के पट्टे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं तथा सरकार की नई नीति के अनुसार शेष कब्जाधारियों के मकानों के पट्टे बनाने की प्रकिया की जा रही है। निगरानीकृत प्रस्ताव के द्वारा ग्राम पंचायत निगरानीकर्तागण के मकानों को तुड़वाना चाहती है। निगरानीकर्तागण क्रमशः ओमप्रकाश ने अपने पुराने निर्मित मकान 50 गुणा 150 फुट क्षेत्र का, मदन लाल ने 50 गुणा 75 फुट का, वेद प्रकाश ने 50 गुणा 150 फुट के पट्टे नियम 157 के तहत बनाने के लिए दस्तावेजात पेश किये हुए हैं। निगरानीकृत आदेश दिनांक 20–4–17 के संबंध में निगरानीकर्तागण को कोई

में निगरानीकर्तागण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 20–4–17 निरस्त फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब पेश कर कथन किया है कि निगरानी किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण ने उक्त जगह पर नाजायज कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण ने तमाम तथ्य अपने प्रार्थना पत्र को बल देने के लिए झूठे लिखें हैं। निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कतई अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्तागण ने ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्तागण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में की गई कार्यवाहियॉ उनके खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं और उन्हें अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेशित किया जा चुका है। निगरानी मूल तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों पर पेश की गई है। निगरानी संधारण योग्य नहीं है। निगरानी खारिज होने योग्य है।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।ग्राम पंचायत का निगरानी से संबंधित जवाब प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस निगरानी में वर्णित तथ्यों पर आधारित करते हुए कहा है कि निगरानीकर्तागण का आबादी भूमि ग्राम सतजण्डा के पूर्व दिशा में अपने–2 भूखण्डों के सामने 52 गुणा 450 फुट में 50–60 वर्षो से पुराने रिहायशी मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण मान कर निगरानीकृत प्रस्ताव के माध्यम से निगरानीकर्तागण के मकान तोड़ने का नोटिस दिनांक 11–4–17 को दिया था, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस दिनांक 11–4–17 को निरस्त कर दिया था। वर्तमान सरपंच व सचिव ने दिनांक 10–3–16 को तहसीलदार की उपस्थिति में फर्द बनाई जिसमें निगरानीगण के पुराने मकान का तथ्य प्रमाणित है। ग्राम पंचायत, सतजण्डा के प्रमाण पत्र दिनांक 31–5–16 से निगरानीकर्ता के पिता मनफूल भारत स्वतन्त्र होने से पहले स्टेट टाईम का मकान होना बताया है। ग्राम पंचायत के चार वार्ड पंचों ने लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि निगरानीकर्तागण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार जिन लोगों का अतिक्रमण 31–12–16 का था उसे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टे दिये जावें। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच नरसिंह द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण दिनांक 11–4–17 को नोटिस दिया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शायी भूमि ओपन लैण्ड में अन्य कब्जाधारी ग्रामीणों के पट्टे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं तथा सरकार की नई नीति के अनुसार शेष कब्जाधारियों के मकानों के पट्टे बनाने की प्रकिया की जा रही है। निगरानीकृत प्रस्ताव के द्वारा ग्राम पंचायत निगरानीकर्तागण के मकानों को तुड़वाना चाहती है। निगरानीकर्तागण क्रमशः ओमप्रकाश ने अपने पुराने निर्मित मकान 50 गुणा 150 फुट क्षेत्र का, मदन लाल ने 50 गुणा 75 फुट का, वेद प्रकाश ने 50 गुणा 150 फुट के पट्टे नियम 157 के तहत बनाने के लिए दस्तावेजात पेश किये हुए हैं। निगरानीकृत आदेश दिनांक 20–4–17 के संबंध में निगरानीकर्तागण को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव खारिज किया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण सं017/17 में दिनांक 3–5–17 को आदेश पारित होकर निगरानी खत्म हो चुकी है। माननीय सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण सं0 15/16 निर्णय दिनांक 21–3–16, अपर जिला

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

न्यायाधीश द्वारा प्रकरण सं0 4/16 निर्णय दिनांक 5–5–16 एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण सं0 5606/16 निर्णय दिनांक 30–8–16 के द्वारा निगरानीकर्तागण की कार्यवाही खारिज हो चुकी है तथा निगरानीकर्तागण को अवैध कब्जा हटाने हेतु आदेशित किया जा चुका है। निगरानीकर्तागण ने धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के आज्ञाप्क प्रावधानों की पालना नहीं की है। निगरानीकर्तागण द्वारा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर निगरानी पेश की गई है जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त पर खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्तागण के पास कोई अधिकार एवं स्वतत्व नहीं है। अतः निगरानी खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निगरानी प्रकरण सं0 17/17 ओमप्रकाश वगैरा बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत सतजण्डा व अन्य में दिनांक 3–5–17 को निर्णय पारित कर यह आदेश दिया गया है कि निगरानीकर्तागण को पूर्व में जारी पट्टे के अतिरिक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण का अवैध अतिक्रमण है तो ऐसे अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए विधि सम्मत् कार्यवाही करने को ग्राम पंचातय स्वतन्त्र है। निगरानीकर्तागण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जो विधिक कार्यवाहियॉ की गई है, वे सब उसके खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस में स्पष्ट अंकित किया है कि गॉव सतजण्डा के अहाता सं0 21,22 व 37 के पूर्व दिशा में आर0सी0पी0 नक्शा में आबादी भूमि के पूर्व दिशा में 50 गुणा 450 फुट जगह खाली छोड़ी गई है, जिस जगह पर निगरानीकर्तागण द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निगरानीकर्तागण के खिलाफ हो चुका है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण को किसी भी न्यायालय से राहत नहीं मिली है और न ही निगरानीकर्तागण के पास ऐसा कोई सारवान दस्तावेज है, जिससे उनके अधिकार एवं स्वतत्व की पुष्टि होती हो। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–5–17 को अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के आधार पर निगरानीकर्तागण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लिहाजा निगरानीकर्तागण की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानीकर्तागण की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 4 की पुष्टि की जाती है। ग्राम पंचायत ऐसे अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की विधिसम्मत् कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को मय रेकार्ड भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 10–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर